सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या – 566 राँची, शुक्रवार, 25 नवम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

18 अक्टूबर, 2022

कृपया पढ़े :-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का ज्ञापन संख्या-8152 (अनु०), दिनांक-10.10.2019
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प संख्या-444 (अनु०), दिनांक– 22.01.2020 एवं संकल्प संख्या- 3935 (अनु०), दिनांक-11.08.2020

संख्या-6517--श्री विजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:2003), तत्कालीन निबंधक, सहयोग समितियां-सह-प्रशासक, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक, संप्रत्ति सेवानिवृत्त के विरूद्ध - विभागीय ज्ञापन संख्या- 8152 (अनु०), दिनांक 10.10.2019 के द्वारा निबंधक, सहयोग समितियां -सह- प्रशासक, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक के द्वारा पदस्थापन अवधि में बरती गयी निम्न अनियमितता के लिए आर्टिकल्स ऑफ चार्जेज, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एवं मिसविहैवियर तथा साक्ष्यों की तालिका निर्गत की गयी-

(सहकारिता प्रभाग)

1. निबंधक-सह-प्रशासक, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि०, राँची के रूप में आपके द्वारा अपने पद एवं शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए बिना सरकार की अनुमति प्राप्त किये एवं बिना किसी सरकारी पदाधिकारी के प्रतिनिधित्व के तथा रिक्ति संबंधी विज्ञापन प्रतिष्ठित/ प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये बिना निजी स्वार्थवश पूर्व से कार्यरत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जे०एस०सी०बी०, राँची को उसी पद पर नियुक्त करना एवं स्वयं को विभागाध्यक्ष मानते हुए निरंकुश रूप से विहित प्रक्रिया अपनाये बिना स्वच्छंद रूप से निर्धारित मापदण्डों एवं परम्पराओं का उल्लंघन करते हुए CEO की नियुक्ति सहित महत्वपूर्ण निर्णयों को लिया गया।
2. निबंधक-सह-प्रशासक के रूप में को-ऑपरेटिव बैंक के विकास एवं तकनीकी क्षमता संवर्धन में अभिरूचि नहीं लेना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण केन्द्र संचालित योजना के कार्यान्वयन एवं उत्पन्न गतिरोध को दूर करने में अभिरूचि नहीं लेना । फलस्वरूप कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण योजना को कई महीनों तक बाधित करना एवं को-ऑपरेटिव बैंक में खाता खोलने वालो के हितो की रक्षा हेतु तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं करना एवं कई माह तक वित्त पोषण का कार्य बाधित करना एवं निदेश देने के बावजूद भी अंतर विभागीय बैठक में भाग नहीं लेना, विभाग एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन नहीं करना तथा प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं करना ।
3. झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि०, राँची के कर्मियों का असमय स्थानान्तरण / पदस्थापन करना, स्वेच्छाचारिता बरतना तथा विषय को वरीय पदाधिकारी / विभाग के संज्ञान में नहीं लाकर विभाग के निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है ।
4. पद एवं प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए बिना विभाग के सहमति / अनुमति के असमय बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन करना एवं विभागीय मंत्री द्वारा रोक लगाने के बावजूद पुनः स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति करना, स्वेच्छाचारिता बरतने तथा भ्रष्ट एवं आरोपी कर्मी की संरक्षण एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए वैसे स्थानों पर पदस्थापन करना जहाँ पर उनके विरूद्ध मामला चल रहा है ।
5. सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ मौसम 2009 से रब्बी 2012-13 तक के लेखा परीक्षण के क्रम में महालेखा परीक्षक द्वारा उठाये गये आपत्तियों का निराकरण एवं झारखण्ड विधान सभा के लोक लेखा समिति के द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन अनेक स्मारों के बावजूद समर्पित नहीं किया गया ।
6. पूर्ववर्ती गुमला सिमडेगा केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों के अनियमित नियमितीकरण के सम्बन्ध में संचिका में तथ्यों को छुपाने के लिए सीधे तौर पर श्री संदीप सेन, ए०जी०एम० लेखा -सह- प्रभारी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, बोकारो जिम्मेवार है। साथ ही मामलों में तथ्यों

की गहन समीक्षा किये बिना एवं बिना अद्यतन विधि परामर्श के नियमितीकरण हेतु आदेश देने के लिए तत्कालीन प्रशासक-सह-निबंधक के रूप में आप जिम्मेवार हैं ।

7 झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक के शहीद चौक स्थित बैंक भवन के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में सहायक महाप्रबंधक द्वारा निविदा के माध्यम से कार्य कराने के प्रस्ताव देने के बाद भी बिना निविदा के कार्य कराने के लिये एवं पुनरूद्वार हेतु प्राक्कलन एक साथ नहीं बनाकर अलग अलग छः प्राक्कलन तैयार करने हेतु श्री जयदेव प्रसाद सिंह महाप्रबंधक, झा.रा.स. बैंक लि० के साथ आप भी जिम्मेवार हैं ।

8. श्री उमेश चन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक, जादूगोड़ा के गलत सेवा विस्तार एवं गलत मानदेय देने के लिये निम्न पदाधिकारी जिम्मेवार हैं :-

क) श्री ब्रजेश्वर नाथ, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक लि०,

ख) श्री मनोज नाथ लाल सहदेव, क्षेत्रीय प्रबंधक, चाईबासा

साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय, चाईबासा में कार्यरत दो सेवानिवृत्त कर्मियों की संचिका कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ में नहीं उपलब्ध कराने तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के इस हेतु दिये गये आदेश की अवहेलना के लिए श्री मनोज नाथ सहदेव, क्षेत्रीय प्रबंधक, चाईबासा जिम्मेदार हैं ।

9. निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि Pos machine के सम्बन्ध में स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी तथा चेक बुक प्रिंटिंग के सम्बन्ध में शाखा से बिना मांग पत्र के अत्यधिक मात्रा में चेक बुक प्रिंटिंग का कार्यादेश देने एवं टेंडर से सम्बन्धित corrigendum अखबार में नहीं प्रकाशित करने के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री ब्रजेश्वर नाथ जिम्मेदार हैं ।

इस सम्बन्ध में यहाँ यह उल्लेख करना है कि श्री ब्रजेश्वर नाथ, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक की नियुक्ति तत्कालीन प्रशासक के रूप में आपके द्वारा गलत ढंग से की गयी थी ।

(पशुपालन प्रभाग)

10. राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण / पदस्थापन सम्बन्धी निर्गत संकल्प का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से बड़े पैमाने पर एक साथ निदेशालय में अधीनस्थ कर्मियों का विभागीय सचिव के मनाही के बावजूद स्थानान्तरण किया गया ।

11. विभागीय मंत्री एवं वरीय पदाधिकारी के निर्देश को ना मानते हुए कार्यपालिक नियमावली की अवहेलना की गयी है ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-444 (अनु०) दिनांक 22.01.2020 के द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, भा०प्र०से० (झा:2003) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शैलेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा.1991), तत्कालीन प्रधान

सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इस विभागीय कार्यवाही में संकल्प संख्या-3935 (अनु०) दिनांक-11.08.2020 द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में श्री मृत्युंजय कुमार बरनवाल भा.प्र.से.. (झा:2013), निबंधक सहयोग समितियों झारखण्ड को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री शैलेश कुमार सिंह भा०प्र०से० (झा:1991), तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड राँची (अतिरिक्त प्रभार- राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव) - सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया है ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा श्री सिंह को उनके विरूद्ध गठित आरोपों से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध चलायी गयी विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ।

आदेश : आदेश दिया जाता है की इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विजय कुमार सिंह भा०प्र०से० (झा:2003) संप्रति सेवानिवृत्त एवं अन्य सम्बन्धित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 566 – 50